कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 160 /11–सी–FP/UP/Road/35291/2018, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 14 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद चन्दौली के अंतर्गत नौगढ धनकुवारीकलां से केसार सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/58/2021/एफ0सी0/1324, दिनांक 10.03.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर ने अपने पत्रांक–83/26–11, दिनांक 13.07.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 160 /11–सी–FP/UP/Road/35291/2018, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0), लो0नि0वि0, चन्दौली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-668